न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

मुकदमा सं0: 147/2018 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. रामकिशन पुत्र भौंरीलाल जाति मीना निवासी ग्राम ठीकरिया तहसील दौसा हाल नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. बद्री पुत्र मांगीराम जाति मीना निवासी ग्राम रानीवास तहसील दौसा हाल नांगल राजावतान जिला दौसा।
2. सोमोती पत्नी सीताराम
3. हनुमान पुत्र सीताराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सोमोती
4. सूरजबाई पुत्री सीताराम
5. ममता पुत्री सीताराम
   समस्त जाति मीना निवासी लाहड़ी का बास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
6. ओम शंकर पुत्र चिरंजीलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी लाहड़ी का बास हाल निवासी सुन्दरदास मार्ग दौसा जिला दौसा।
7. प्रेम प्रकाश पुत्र रामहेत तिवाड़ी जाति ब्राह्मण निवासी चौधरी कॉलोनी, आगरा रोड दौसा।
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार दौसा जिला दौसा।
9. उप पंजीयक दौसा जिला दौसा।
10. उप जिला कलक्टर महवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

स्थानांतरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत उप जिला कलक्टर महवा के समक्ष विचाराधीन वाद उनवानी रामकिशन बनाम बद्री मु0नं0 225/2016

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपस्थिति : 1. श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री कैलाश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं01
3.श्री ब्रजमोहन गौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 लगा0 5
4. श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

दिनांकः 21.10.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा जिला दौसा में विचाराधीन वाद उनवानी रामकिशन बनाम बद्री मुकदमा नं0 225/2016 को न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा में स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।

मु0सं0: 147/2018 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी सं0 6 एवं 7 बाद तामील उपस्थित नही हुए। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र स्थानांतरण विरूद्ध पीठासीन अधिकारी न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा उनवानी रामकिशन बनाम बद्री मु0नं0 35/2016 इस न्यायालय में पेश किया गया था। जिसको दिनांक 30.3.2016 को स्वीकार किया जाकर पत्रावली को न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा में स्थानांतरित किया गया। उक्त पत्रावली न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा में विचाराधीन है। न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा के पीठासीन अधिकारी जिनके विरूद्ध स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उनका स्थानान्तरण भी अन्यत्र हो चुका है। उक्त वाद के विचारण मे अभी काफी समय लगेगा तथा प्रार्थी को बार–बार तारीख पेशी पर महवा आने–जाने मे काफी समय व खर्चा होता है। उक्त परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा मे विचाराधीन प्रकरण वाद उनवानी रामकिशन बनाम बद्री मुकदमा नं0 225/2016 को न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा मे स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जवाब बहस मे निवेदन किया गया है कि प्रार्थी वादी रामकिशन ने अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 के एक वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी रामकिशन बनाम बद्री व अन्य का न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा मे दिनांक 23.01.2014 को पेश किया उक्त वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सं0 5/2014 मे दिनांक 24.1.2014 से वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड व मौके के यथास्थिति के आदेश करवा रखे है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 7 प्रेमप्रकाश तिवाडी आपस मिले हुए है। जिनका उद्देश्य उक्त वाद व स्टे को ज्यादा से ज्यादा लम्बे करते रहने का है। प्रार्थी रामकिशन ने तत्कालीन पीठासीन अधिकारी संतोष गोयल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा व अन्य के खिलाफ प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया था। जिस पर दिनांक 30.03.2016 को पत्रावली न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा मे स्थानान्तरित की गई थी। अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने के उद्देश्य से उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के खिलाफ राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे निगरानी पेश कर दी। दिनांक 22.06.2018 को राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर से पत्रावली प्राप्त होने पर उक्त कैस कि सुनवाई शुरू हुई। जिस पर 17.07.2017 को तनकीयात कायम की गई। वादी रामकिशन को साक्ष वादी प्रस्तुत करने हेतु 23.07.2018,30.07.2018,13.08.2018 तारीख पेशी दी गई किंतु प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष पेश नही किया गया बल्कि प्रकरण को ओर ज्यादा लंबा करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय पेश किया गया है। प्रार्थी रामकिशन व अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा के खिलाफ किसी प्रकार का विवाद नही है। इसलिए उक्त प्रकरण की सुनवाई उपखण्ड अधिकारी महवा के समक्ष ही करवाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 के उक्त तथ्यो से सहमत होना व्यक्त किया गया।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी महवा से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार प्रकरण को स्थानान्तरण करने मे कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण को स्थानान्तरित करने के संबंध मे कोई औचित्य पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नही किये गये है। उभयपक्ष को पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा के विरूद्ध भी कोई शिकायत होना व्यक्त नही किया गया है।

न्यायालय कलक्टर ... दौसा
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मु0सं0: 147/2018 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रकरण के निस्तारण मे अनावश्यक रूप से विलंब होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा मे विचाराधीन प्रकरण उनवानी रामकिशन बनाम बद्री मुकदमा नं0 225/2016 को न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा मे स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official